सं. ई-14013(11)/1/2019/हिंदी-डीजीएचएस/.....36-131

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(हिन्दी अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक:29 अप्रैल, 2022

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षणों के दौरान उठाए गए मुद्दों पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में भी कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 09.04.2022 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन दो अस्पतालों क्रमशः सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली का राजभाषा निरीक्षण किया गया था।

2. निरीक्षण बैठकों में माननीय सांसदों ने निरीक्षण प्रश्नावली के आधार पर इन कार्यालयों के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की जांच की और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। समिति ने राजभाषा नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन न होने के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया और इन अस्पतालों के प्रमुखों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने और संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर जारी किये गये माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। ।

3. उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है और संघ के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करती है।

4. अत: यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करते हुए संलग्न सूची में दी गई मदों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि महानिदेशालय के राजभाषा निरीक्षण के समय किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। राजभाषा हिंदी में कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर और अनुलग्नक में दी गई किसी मद के संबंध में अधिक जानकारी के लिए महानिदेशालय के हिन्दी अनुभाग से संपर्क करें।

अनुलग्नक: यथोक्त

(चंद्रशेखर प्रसाद)
निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव(आरएम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के निजी सचिव
3. उपनिदेशक (जीए) को यह आदेश निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

अनुलग्नक

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षणों के दौरान उठाए गए मुद्दों की सूची

1. **मूल पत्राचार में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि :** राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी होनेवाले वार्षिक कार्यक्रम में 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालय द्वारा 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 100, 100 और 65 प्रतिशत है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से ही निदेशालय के हिंदी में मूल पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि संभव है। अत: सभी अधिकारी और कर्मचारी अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में करें ताकि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

2. **'क' और 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी के पत्रों के उत्तर हिंदी में दिये जाएं।**

3. **फाइलों पर हिंदी में टिपण(नोटिंग) के प्रतिशत में वृद्धि :** राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी होनेवाले वार्षिक कार्यक्रम में 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए हिन्दी में टिप्पण(नोटिंग) का लक्ष्य 75% निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर के अधिकारी व कर्मचारी फाईलों पर टिप्पण कार्य भी हिन्दी में करें। इसके लिए, अधिकारी ई-ऑफिस के क्विक नोटिंग(Quick Noting) में उपलब्ध छोटे-छोटे हिन्दी वाक्यांश (Hindi phrases) का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप्पण के तकनीकी या विधिक प्रवृत्ति के होने के मामले में मिली-जुली भाषा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप्पण में कठिन प्रतीत होनेवाले वाक्यों को जैसे का तैसा अंग्रेजी में लिखा सकता है।

4. <u>हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रवीण बनाया जाना:</u> जो अधिकारी और कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, उन्हें हिन्दी में सरकारी काम करने में प्रवीण बनाने के लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए नामित किया जा सकता है । यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 21.10.22 से 21.11.2022 तक कमरा नं. 449-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पारंगत परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधिकारी/कर्मचारी नकद पुरस्कार(70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर रु. 10,000/-, 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर रु. 7,000/- और 55% से अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर रु. 4,000/-) प्रदान किये जाते हैं। इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अपना नामांकन हिंदी अनुभाग को 31 जुलाई, 22 तक भेज सकते हैं, ताकि उन्हें उक्त प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को नामित किया जा सके। अधिकारी/कर्मचारी स्वयं अपने प्रयास द्वारा भी हिन्दी का उपयुक्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी अनुभाग में उपलब्ध प्रपत्र पर हिंदी में प्रवीण होने की घोषणा कर सकते हैं।

5. <u>उच्च अधिकारियों द्वारा कंम्यूटर पर हिंदी में किये जा रहे कार्य के प्रतिशत में वृद्धि</u>: सभी उच्च अधिकारी Phonetic typing द्वारा स्वयं अथवा अपने अधीन स्टाफ के माध्यम से कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य कर सकते हैं । इच्छुक अधिकारी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हिंदी अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

6. <u>हिंदी भाषा/ हिंदी टाइपिंग/ हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों का प्रशिक्षण के लिए नामांकन</u>: महानिदेशालय के ऐसे सभी कार्मिक, जिन्हें अभी हिंदी भाषा/हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाना शेष है, वे आपना नाम हिंदी अनुभाग को भेज दें, ताकि उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के तहत अपेक्षित प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हिंदी अनुभाग को संपर्क करें।

7. <u>विभागीय बैठकों की कार्यसूची(ऐजेंडा) और कार्यवृत (मिनट्स)</u> नियमानुसार द्विभाषी रूप में जारी किये जाने अपेक्षित हैं । इस संबंध में आवश्यकता होने पर अनुवाद के लिए हिंदी अनुभाग से सेवा ली जा सकती है।

8. <u>निदेशालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में अद्यतन करना</u>: सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भेजी जा रही सामग्री द्विभाषी हो। वेबसाइट का द्विभाषीकरण सुनिश्चित करने के लिए जांच-बिंदु अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि वेबसाइट पर अपलोड की जा रही सामग्री द्विभाषी है या अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक साथ अपलोड की जा रही है ।

9. <u>विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हिंदी में किये जा रहे कार्य के प्रतिशत में वृद्धि</u>: संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में विभागीय राजभाषा कार्यान्यवन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा अपने हिंदी के ज्ञान के स्तर के साथ सरकारी कामकाज में हिन्दी में किये जा रहे कार्य का प्रतिशत दिया जाना अपेक्षित है। अतः यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करें।

10. <u>अधीनस्थ कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि</u> : संसदीय राजभाषा समिति के पूर्वाक्त निरीक्षणों के संबंध में दी गई 'ध्यान देने योग्य बातों' में यह उल्लेख किया है कि सफदरजंग अस्पताल और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल से मुख्यालय द्वारा किये जा रहे हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत बहुत कम है। अत: निदेशालय के सभी अनुभाग 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों से अधिकाधिक पत्राचार (जिसमें ई-मेल की संख्या शामिल है) हिंदी में ही करेंगे।

11. <u>अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के रिक्त पदों को भरा जाना</u>: निदेशालय के किसी अनुभाग में यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय में हिंदी पदों के सृजन या हिंदी के रिक्त पदों को भरने या हिंदी पदों के भर्ती नियमों से संबंधित कोई भी मामला लंबित हो तो उसे प्राथमिकता के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।